(वाद संख्या–4078/18)

12.02.2021

परिवादी, कबूतरी देवी, अपने अधिवक्ता, श्री श्यामाकांत सिंह, के साथ उपस्थित हुई।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत पताही अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा 50 वर्षो से भी अधिक समय से गैरमजरूआ जमीन पर इन्दिरा आवास योजना से निर्मित परिवादी के मकान को ध्वस्त कर उसमें रखे सामानों को विनिष्ट करने तथा परिवादी को आवासविहीन करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी, पताही के प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। उक्त प्रत्युत्तर पर पुनः आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा बाद में दिये गये प्रतिवेदन का भी प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

परिवादी के परिवाद–पत्र प्रत्युत्तरों व जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदनों के आलोक में प्रसंगाधीन मामले में **यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम–1956 के सुसंगत धाराओं का अनुपालन करते हुए वाद संख्या–15/17–18 की विधिवत् सुनवाई कर, परिवादी के पति–जियालाल साह को उक्त अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत अतिक्रमणकारी घोषित कर अतिक्रमित भूमि से मुक्त कराया गया है।**

परिवादी का कथन है कि अतिक्रमित उपरोक्त भूमि को छोड़कर उसको कोई आवास नहीं है तथा अब वह आवास विहिन हो गयी है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को मौजा–चम्पापुर, थाना संख्या–203, खाता संख्या–69, खेसरा संख्या–1925 में आवास योग्य 01.06डी0 जमीन है जिसमें ईंट का पक्का मकान एवं सहन बना हुआ है जो परिवादी कबूतरी देवी के दखल–कब्जा में है। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के प्रतिवेदनानुसार वर्ष, 2009 के पंचायत चुनाव के समय परिवादी द्वारा अपने उपरोक्त मकान का स्वामी होने का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र के साथ अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि वर्ष, 2009

से ही परिवादी को अपने उक्त मकान में दखल–कब्जा रहा है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी के साथ–साथ छः अतिक्रमणकारियों को भी चिन्हित कर अतिक्रमित भूमि से उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रतिवेदनानुसार जब भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा स्वयं परिवादी कबूतरी देवी के परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच स्थल पर जा कर की गयी तो जांच के क्रम में परिवादी मौजा–चम्पापुर, थाना संख्या–203, खाता संख्या–69, खेसरा संख्या–1925 एवं 877/2921 पर स्थित अपने घर से निकलकर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के पास आयी, इससे यह प्रतीत होता है कि परिवादी वर्त्तमान में अपने मकान में रह रही है तथा वह आवासविहिन नहीं है।

आज राज्य आयोग के समक्ष परिवादी यह स्वीकार करती है कि पंचायत चुनाव के समय उसकी ओर से जो शपथ–पत्र दिया गया था, उसमें उसने यह स्वीकार किया था कि उसे अपना मकान है।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आलोक में यह प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन द्वारा विधिनुसार परिवादी को अतिक्रमणकारी घोषित कर उसे अतिक्रमित भूमि (गैरमजरूआ मालिक) के अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है तथा वह आवासविहिन नहीं है। जहांतक अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान घर में रखे सामानों के विनिष्ट किए जाने से संबंधित परिवादी की शिकायत की शिकायत का सम्बन्ध है, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है।

अब, जबकि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के सुसंगत धाराओं का विधिनुसार अनुपालन करते हुए परिवादी द्वारा अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>